

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्यालय आदेश

का0आ0सं0-08/अ0प्र0-07-05/2021

509

/पटना, दिनांक:- 9.9.25

अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में गठित विभागीय स्कीनिंग समिति की दिनांक-19.08.2025 को आयोजित बैठक में वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या-4685 दिनांक-25.06.2003 द्वारा निर्गत बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली 2003, के आलोक में ग्रामीण कार्य विभाग के निम्नांकित कनीय लेखा लिपिक/वरीय लेखा लिपिक को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-6 एवं 7 में अंकित तिथि से क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन तथा वित्त विभाग के संकल्प संख्या-7566 दिनांक-14.07.2010 द्वारा निर्गत बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति योजना) नियमावली, 2010, पत्रांक-5152 दिनांक-21.05.2013, वित्त विभागीय संकल्प सं0-2178, दिनांक-27.02.2025 एवं वित्त विभागीय परिपत्र सं0-4862, दिनांक-29.04.2025 तथा वित्त विभाग, बिहार, पटना का संकल्प संख्या-163 दिनांक-08.01.2016, वित्त विभागीय ज्ञापांक-6589 दिनांक-19.08.2016, ज्ञापांक-4936 दिनांक-02.07.2018 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर इस संबंध में यथा निर्गत संगत संकल्पों/परिपत्रों/प्रावधानों के आलोक में कॉलम-06, 07 एवं 08 में अंकित तिथि से क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की स्वीकृति पर नियमानुसार विचार किया गया।

2. तदनुसार समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली, 2003 एवं बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति योजना) नियमावली, 2010 तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों/समय-समय पर इस संबंध में यथा निर्गत संकल्पों/परिपत्रों, वित्त विभागीय संकल्प संख्या-163 दिनांक-08.01.2016 एवं ज्ञापांक-4936 दिनांक-02.07.2018 के संदर्भ में ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यालयों में कार्यरत/मृत/सेवानिवृत्त निम्नांकित कनीय लेखा लिपिक/वरीय लेखा लिपिक को वांछित सेवा पूरी होने पर क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन तथा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की स्वीकृति कॉलम-9 में अंकित तिथि से प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	कर्मचारियों का नाम/ पदनाम/ पदस्थापित/ सेवानिवृत्त के कार्यालय का नाम	जन्म तिथि/ सेवानिवृत्ति की तिथि	नियुक्ति का श्रोत/वरीय/ कनीय लेखा लिपिक के पद पर योगदान की तिथि	सेवा सम्पुष्टि की तिथि	ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 योजना के तहत देय तिथि एवं वेतनमान			रूपांतरित संहिता का निर्णय/ अनुशंसा
					प्रथम ए0सी0पी0/ एम0ए0सी0पी0 देयता की तिथि/वेतनमान	द्वितीय ए0सी0पी0/ एम0ए0सी0पी0 देयता की तिथि/वेतनमान	तृतीय एम0ए0सी0पी0 देयता की तिथि/वेतनमान	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री. रोलेंद्र कुमार /सेवानिवृत्त वरीय लेखा लिपिक/ कार्य प्रमदल, औरंगाबाद	10.01.1952/ 31.01.2012	सीपी नियुक्ति 02.07.1973	01.07.1978	दिनांक- 09.08.1999 की तिथि से पूर्व में प्राप्त प्रथम ए0सी0पी0 का वेतनमान दिनांक- 28.03.2000 की तिथि से 6500-10500/- में परिवर्तित है। (परन्तु वेतन निर्धारण का लाभ देय नहीं, वरन् मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (2) के तहत केवल वेतन निर्धारण)	दिनांक- 09.08.1999 की तिथि से पूर्व में प्राप्त द्वितीय ए0सी0पी0 का वेतनमान दिनांक- 28.03.2000 की तिथि से 10000-15200/- में परिवर्तित है। (परन्तु वेतन निर्धारण का लाभ देय नहीं, वरन् मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (2) के तहत केवल वेतन निर्धारण)	दिनांक- 01.01.2009 की तिथि से तृतीय एम0ए0सी0पी0 3 ग्रेड 7600 में देय है।	1. दिनांक- 09.08.1999 की तिथि से पूर्व में प्राप्त प्रथम ए0सी0पी0 का वेतनमान दिनांक- 28.03.2000 की तिथि से वेतनमान- 6500-10500/- में परिवर्तित है। (परन्तु वेतन निर्धारण का लाभ देय नहीं, वरन् मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (2) के तहत केवल वेतन निर्धारण) 2. दिनांक- 09.08.1999 की तिथि से पूर्व में प्राप्त द्वितीय ए0सी0पी0 का वेतनमान दिनांक- 28.03.2000 की तिथि से वेतनमान- 10000-15200/- में परिवर्तित है। (परन्तु वेतन निर्धारण का लाभ देय नहीं, वरन् मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (2) के तहत केवल वेतन निर्धारण) 3. दिनांक-01.01.2009 की तिथि से तृतीय एम0ए0सी0पी0 3 ग्रेड 7600 में देय है। (तदनुसार पूर्व में प्रदत्त ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 इस हद तक संशोधित)

2	श्री राम सेवक प्रसाद/सेवानिवृत्त वरीय लेखा लिपिक/कार्य प्रमंडल, राहसरसा	05.11.1952/ 31.11.2012	प्रोन्नति 03.02.1979	31.12.2002	दिनांक- 09.08.1999 की तिथि से पूर्व में प्राप्त प्रथम ए०सी०पी० का वेतनमान दिनांक- 28.03.2000 की तिथि से वेतनमान- 6500-10500/- में परिवर्तित है। (परन्तु वेतन निर्धारण का लाभ देय नहीं, वरन् मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (2) के तहत केवल वेतन निर्धारण)	दिनांक- 03.02.2003 की तिथि से द्वितीय ए०सी०पी० वेतनमान-10000-15200/- में देय है।	दिनांक- 03.02.2009 की तिथि से तृतीय एम०ए०सी०पी० पी०-3 ग्रेड पे०-7600 में देय है।	1. दिनांक- 09.08.1999 की तिथि से पूर्व में प्राप्त प्रथम ए०सी०पी० का वेतनमान दिनांक- 28.03.2000 की तिथि से वेतनमान- 6500-10500/- में परिवर्तित है। (परन्तु वेतन निर्धारण का लाभ देय नहीं, वरन् मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (2) के तहत केवल वेतन निर्धारण) 2. दिनांक-03.02.2003 की तिथि से द्वितीय ए०सी०पी० वेतनमान-10000-15200/- में स्वीकृत। 3. दिनांक-03.02.2009 की तिथि से तृतीय एम०ए०सी०पी० पी०-3 ग्रेड पे०-7600 में स्वीकृत। (तदनुसार पूर्व में प्रदत्त ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० इस हद तक संशोधित)
3	श्री राम निवास तिवारी/सेवानिवृत्त वरीय लेखा लिपिक/कार्य प्रमंडल, सिमरी बख्तावारपुर	01.01.1953/ 31.12.2012	प्रोन्नति 03.03.1981	वित्त विभागीय परिपत्र सं०-4862, दिनांक-29.04.2025 द्वारा राज्य सरकार के मुफिकसल/क्षेत्रीय कार्यालयों में पदस्थापित लिपिकों लेखा परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होने की स्थिति में भी वित्तीय उन्नयन का लाभ दिये जाने का निर्णय संशोधित होने के आलोक में	दिनांक- 09.08.1999 की तिथि से पूर्व में प्राप्त प्रथम ए०सी०पी० का वेतनमान दिनांक- 28.03.2000 की तिथि से वेतनमान- 6500-10500/- में परिवर्तित है। (परन्तु वेतन निर्धारण का लाभ देय नहीं, वरन् मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (2) के तहत केवल वेतन निर्धारण)	दिनांक- 03.03.2005 की तिथि से द्वितीय ए०सी०पी० वेतनमान- 10000-15200/- में देय है।	दिनांक- 03.03.2011 की तिथि से तृतीय एम०ए०सी०पी० पी०-3 ग्रेड पे०-7600 में देय है।	1. दिनांक- 09.08.1999 की तिथि से पूर्व में प्राप्त प्रथम ए०सी०पी० का वेतनमान दिनांक- 28.03.2000 की तिथि से वेतनमान- 6500-10500/- में परिवर्तित है। (परन्तु वेतन निर्धारण का लाभ देय नहीं, वरन् मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (2) के तहत केवल वेतन निर्धारण) 2. दिनांक- 03.03.2005 की तिथि से द्वितीय ए०सी०पी० वेतनमान-10000-15200/- में स्वीकृत। 3. दिनांक- 03.03.2011 की तिथि से तृतीय एम०ए०सी०पी० पी०-3 ग्रेड पे०-7600 में स्वीकृत। (तदनुसार पूर्व में प्रदत्त ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० इस हद तक संशोधित)।
4	स्व० प्रमोद कुमार सिंह/सेवानिवृत्त वरीय लेखा लिपिक/कार्य प्रमंडल, रोखपुरा	07.01.1953/ 31.01.2013	सीधी नियुक्ति 18.09.1987	01.10.1998	दिनांक- 18.09.1999 की तिथि से पूर्व में प्राप्त प्रथम ए०सी०पी० का वेतनमान दिनांक- 28.03.2000 की तिथि से वेतनमान- 6500-10500/- में परिवर्तित है। (परन्तु वेतन निर्धारण का लाभ देय नहीं, वरन् मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (2) के तहत केवल वेतन निर्धारण)	दिनांक- 01.01.2009 की तिथि से द्वितीय एम०ए०सी०पी० पी०-2 ग्रेड पे०-5400 में देय है।	तृतीय देय नहीं है।	1. दिनांक- 18.09.1999 की तिथि से पूर्व में प्राप्त प्रथम ए०सी०पी० का वेतनमान दिनांक- 28.03.2000 की तिथि से वेतनमान- 6500-10500/- में परिवर्तित है। (परन्तु वेतन निर्धारण का लाभ देय नहीं, वरन् मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (2) के तहत केवल वेतन निर्धारण) 2. दिनांक-01.01.2009 की तिथि से द्वितीय एम०ए०सी०पी० पी०-2 ग्रेड पे०-5400 में स्वीकृत। (तदनुसार पूर्व में प्रदत्त ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० इस हद तक संशोधित)।
5	श्री वैद्यनाथ मल्लिक/सेवानिवृत्त वरीय लेखा लिपिक/कार्य प्रमंडल, डुमराय	10.01.1949/ 31.01.2009	प्रोन्नति 01.10.1981	01.04.1985	दिनांक- 09.08.1999 की तिथि से पूर्व में प्राप्त प्रथम ए०सी०पी० का वेतनमान दिनांक- 28.03.2000 की तिथि से वेतनमान- 6500-10500/- में परिवर्तित है। (परन्तु वेतन निर्धारण का लाभ देय नहीं, वरन् मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (2) के तहत केवल वेतन निर्धारण)	दिनांक- 01.10.2005 की तिथि से द्वितीय ए०सी०पी० वेतनमान-10000-15200/- में देय है।	तृतीय देय नहीं है।	1. दिनांक- 09.08.1999 की तिथि से पूर्व में प्राप्त प्रथम ए०सी०पी० का वेतनमान दिनांक- 28.03.2000 की तिथि से वेतनमान- 6500-10500/- में परिवर्तित है। (परन्तु वेतन निर्धारण का लाभ देय नहीं, वरन् मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (2) के तहत केवल वेतन निर्धारण) 2. दिनांक-01.10.2005 की तिथि से द्वितीय ए०सी०पी० वेतनमान-10000-15200/- में स्वीकृत। (तदनुसार पूर्व में प्रदत्त ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० इस हद तक संशोधित)।

6	मो० तसलीम/सेवानिवृत्त वरीय लेखा लिपिक/कार्य प्रमंडल, पालीगंज	05.05.1951/ 31.05.2011	सीधी नियुक्ति 31.07.1981	वित्त विभागीय परिपत्र सं०-4062, दिनांक-29.04.2025 द्वारा राज्य सरकार के मुफिफतल/क्षेत्रीय कार्यालयों में पदस्थापित लिपिकों लेखा परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होने की स्थिति में भी वित्तीय उन्नयन का लाभ दिये जाने का निर्णय संगृहीत होने के आलोक में	दिनांक-09.08.1999 की तिथि से पूर्व में प्राप्त प्रथम ए०सी०पी० का वेतनमान दिनांक-28.03.2000 की तिथि से वेतनमान-6500-10500/- में परिवर्तित है। (परन्तु वेतन निर्धारण का लाभ देय नहीं, बरन मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (2) के तहत केवल वेतन निर्धारण)	दिनांक-31.07.2005 की तिथि से द्वितीय ए०सी०पी० वेतनमान-10000-15200/-में देय है।	तृतीय देय नहीं है।	1. दिनांक-09.08.1999 की तिथि से पूर्व में प्राप्त प्रथम ए०सी०पी० का वेतनमान दिनांक-28.03.2000 की तिथि से वेतनमान-6500-10500/- में परिवर्तित है। (परन्तु वेतन निर्धारण का लाभ देय नहीं, बरन मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (2) के तहत केवल वेतन निर्धारण) 2. दिनांक-31.07.2005 की तिथि से द्वितीय ए०सी०पी० वेतनमान-10000-15200/-में स्वीकृत। (तदनुसार पूर्व में प्रदत्त ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० इस हद तक संशोधित)।
7	श्री पंकज सिन्हा/वरीय लेखा लिपिक/कार्य प्रमंडल, दानापुर	05.02.1969/ 28.02.2029	अनुकम्पा 02.04.1992	02.04.1995	दिनांक-02.04.2004 की तिथि से प्रथम ए०सी०पी० वेतनमान-6500-10500/- में देय है।	दिनांक-02.04.2012 की तिथि से द्वितीय ए०सी०पी० पी०वी०-2 ग्रेड पे०-5400 में देय है।	दिनांक-02.04.2022 की तिथि से तृतीय ए०सी०पी० पी० लेवल-11 में देय है।	1. दिनांक-02.04.2004 की तिथि से प्रथम ए०सी०पी० वेतनमान-6500-10500/- में स्वीकृत। 2. दिनांक-02.04.2012 की तिथि से द्वितीय ए०सी०पी० पी०वी०-2 ग्रेड पे०-5400 में स्वीकृत। 3. दिनांक-02.04.2022 की तिथि से तृतीय ए०सी०पी० पी० लेवल-11 में स्वीकृत। (तदनुसार पूर्व में प्रदत्त ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० इस हद तक संशोधित)।
8	श्री संजीव कुमार सिंह/वरीय लेखा लिपिक/जौंच एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रमंडल, गया	20.01.1974/ 31.01.2034	अनुकम्पा 19.10.1994	26.05.2005	दिनांक-19.10.2006 की तिथि से प्रथम ए०सी०पी० वेतनमान-9300-34800/- ग्रेड पे०-4800/- में देय है।	दिनांक-19.10.2014 की तिथि से द्वितीय ए०सी०पी० पी०वी०-2 ग्रेड पे०-5400 में देय है।	दिनांक-19.10.2024 की तिथि से तृतीय ए०सी०पी० पी० लेवल-11 में देय है।	1. दिनांक-19.10.2006 की तिथि से प्रथम ए०सी०पी० वेतनमान-9300-34800/- ग्रेड पे०-4800/- में स्वीकृत। 2. दिनांक-19.10.2014 की तिथि से द्वितीय ए०सी०पी० पी०वी०-2 ग्रेड पे०-5400 में स्वीकृत। 3. दिनांक-19.10.2024 की तिथि से तृतीय ए०सी०पी० पी० लेवल-11 में स्वीकृत। (तदनुसार पूर्व में प्रदत्त ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० इस हद तक संशोधित)।
9	श्री विनोद कुमार/वरीय लेखा लिपिक/कार्य प्रमंडल, जहानाबाद	29.12.1971/ 31.12.2031	सीधी नियुक्ति 06.06.1997	06.06.2000	दिनांक-06.06.2009 की तिथि से प्रथम ए०सी०पी० वेतनमान-9300-34800/- ग्रेड पे०-4800/- में देय है।	दिनांक-06.06.2017 की तिथि से द्वितीय ए०सी०पी० वेतनमान लेवल-9 में देय है।	तत्काल तृतीय ए०सी०पी० पी० देय नहीं है।	1. दिनांक-06.06.2009 की तिथि से प्रथम ए०सी०पी० वेतनमान-9300-34800/- ग्रेड पे०-4800/- में स्वीकृत। 2. दिनांक-06.06.2017 की तिथि से द्वितीय ए०सी०पी० वेतनमान लेवल-9 में स्वीकृत। (तदनुसार पूर्व में प्रदत्त ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० इस हद तक संशोधित)।
10	श्री संजय कुमार निराला/वरीय लेखा लिपिक/जौंच एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रमंडल, आरा	01.02.1975/ 31.01.2035	अनुकम्पा 08.09.1993	11.04.2012	दिनांक-08.09.2005 की तिथि से प्रथम ए०सी०पी० वेतनमान-6500-10500/- में देय है।	दिनांक-08.09.2013 की तिथि से द्वितीय ए०सी०पी० पी०वी०-2 ग्रेड पे०-5400 में देय है।	दिनांक-08.09.2023 की तिथि से तृतीय ए०सी०पी० पी० लेवल-11 में देय है।	1. दिनांक-08.09.2005 की तिथि से प्रथम ए०सी०पी० वेतनमान-6500-10500/- में स्वीकृत। 2. दिनांक-08.09.2013 की तिथि से द्वितीय ए०सी०पी० पी०वी०-2 ग्रेड पे०-5400 में स्वीकृत। 3. दिनांक-08.09.2023 की तिथि से तृतीय ए०सी०पी० पी० लेवल-11 में स्वीकृत। (तदनुसार पूर्व में प्रदत्त ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० इस हद तक संशोधित)।
11	श्री पवन कुमार चौधरी/कनीय लेखा लिपिक/कार्य प्रमंडल, टिकारी	06.01.1970/ 31.01.2030	अनुकम्पा 31.03.2001	22.11.2023	प्राप्त	दिनांक-31.03.2021 की तिथि से द्वितीय ए०सी०पी० पी० देय नहीं है।	तत्काल तृतीय ए०सी०पी० पी० देय नहीं है।	1. दिनांक-31.03.2021 की तिथि से द्वितीय ए०सी०पी० पी० लेवल-6 में स्वीकृत। (तदनुसार पूर्व में प्रदत्त ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० इस हद तक संशोधित)।

12	श्री अशोक कुमार सिंह / वरीय लेखा लिपिक / कार्य प्रमंडल, गोगरी	02.04.1969 / 30.04.2029	अनुकम्पा 07.11.1998	26.12.2024	प्राप्त	दिनांक- 07.11.2018 की तिथि से द्वितीय एम0ए0सी0पी0 लेवल-7 में देय है।	तत्काल तृतीय एम0ए0सी0पी0 देय नहीं है।	1. दिनांक-07.11.2018 की तिथि, द्वितीय एम0ए0सी0पी0 लेवल-7 में स्वीकृत। (तदनुसार पूर्व में प्रदत्त ए0सी0पी0 / एम0ए0सी0पी0 इस हद तक संशोधित)।
13	श्री पंकज लोचन पाण्डेय / कनीय लेखा लिपिक / कार्य प्रमंडल, शिवहर	09.12.1967 / 31.12.2027	अनुकम्पा 31.03.2001	14.05.2011	दिनांक- 31.03.2011 की तिथि से प्रथम एम0ए0सी0पी0 वेतनमान-5200-20200/- ग्रेड पे0-2800/- में देय है।	दिनांक- 31.03.2021 की तिथि से द्वितीय एम0ए0सी0पी0 (वेतन लेवल-06) में देय है।	तत्काल तृतीय एम0ए0सी0पी0 देय नहीं है।	1. दिनांक- 31.03.2011 की तिथि से प्रथम एम0ए0सी0पी0 वेतनमान-5200-20200/- ग्रेड पे0-2800/- में स्वीकृत। 2. दिनांक- 31.03.2021 की तिथि से द्वितीय एम0ए0सी0पी0 (वेतन लेवल-06) में स्वीकृत। (तदनुसार पूर्व में प्रदत्त ए0सी0पी0 / एम0ए0सी0पी0 इस हद तक संशोधित)।
14	श्री रघु प्रसाद / वरीय लेखा लिपिक / जीप एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रमंडल, भागलपुर	01.02.1969 / 28.02.2029	सीधी नियुक्ति 11.09.1988	13.04.2012	प्रथम ए0सी0पी0 दिनांक- 11.09.2000 की तिथि से वेतनमान-6500-10500/- में देय है।	दिनांक- 01.01.2009 की तिथि से द्वितीय एम0ए0सी0पी0 पी0वी0-2 ग्रेड पे0-5400 में देय है।	दिनांक- 11.09.2018 की तिथि से तृतीय एम0ए0सी0पी0 लेवल-11 में देय है।	1. प्रथम ए0सी0पी0 दिनांक- 11.09.2000 की तिथि से वेतनमान-6500-10500/- में स्वीकृत। 2. दिनांक-01.01.2009 की तिथि से द्वितीय एम0ए0सी0पी0 पी0वी0-2 ग्रेड पे0-5400 में स्वीकृत। 3. दिनांक-11.09.2018 की तिथि से तृतीय एम0ए0सी0पी0 लेवल-11 में स्वीकृत। (तदनुसार पूर्व में प्रदत्त ए0सी0पी0 / एम0ए0सी0पी0 इस हद तक संशोधित)।
15	श्री कृष्णा चौधरी / सेवानिवृत्त वरीय लेखा लिपिक / जीप एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रमंडल, आरा	12.06.1959 / 30.06.2019	सीधी नियुक्ति 01.08.1984	01.08.1984	दिनांक- 09.08.1999 की तिथि से पूर्व में प्राप्त प्रथम ए0सी0पी0 का वेतनमान दिनांक- 28.03.2000 की तिथि से वेतनमान- 6500-10500/- में परिवर्तित है। (परन्तु वेतन निर्धारण का लाभ देय नहीं, वरन मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (2) के तहत केवल वेतन निर्धारण)	दिनांक- 01.08.2008 की तिथि से द्वितीय ए0सी0पी0 पी0वी0-3 ग्रेड पे0-6600 में देय है।	दिनांक- 01.08.2014 की तिथि से तृतीय एम0ए0सी0पी0 पी0वी0-3 ग्रेड पे0-7600 में देय है।	1. दिनांक- 09.08.1999 की तिथि से पूर्व में प्राप्त प्रथम ए0सी0पी0 का वेतनमान दिनांक- 28.03.2000 की तिथि से वेतनमान- 6500-10500/- में परिवर्तित है। (परन्तु वेतन निर्धारण का लाभ देय नहीं, वरन मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (2) के तहत केवल वेतन निर्धारण)
16	रव0 अरुण कुमार प्रसाद / सेवानिवृत्त वरीय लेखा लिपिक / कार्य प्रमंडल, समस्तीपुर	05.02.1954 / 28.02.2014	प्रोन्नति 24.07.1985	वित्त विभागीय परिपत्र सं0-4862, दिनांक- 29.04.2025 द्वारा राज्य सरकार के मुफिफसल / क्षेत्रीय कार्यालयों में पदस्थापित लिपिकों लेखा परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होने की स्थिति में भी वित्तीय उन्नयन का लाभ दिये जाने का निर्णय संसूचित होने के आलोक में	दिनांक- 09.08.1999 की तिथि से पूर्व में प्राप्त प्रथम ए0सी0पी0 का वेतनमान दिनांक- 28.03.2000 की तिथि से वेतनमान- 6500-10500/- में परिवर्तित है। (परन्तु वेतन निर्धारण का लाभ देय नहीं, वरन मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (2) के तहत केवल वेतन निर्धारण)	दिनांक- 24.07.2009 की तिथि से द्वितीय ए0सी0पी0 पी0वी0-3 ग्रेड पे0-6600 में देय है।	तृतीय देय नहीं है।	1. दिनांक- 09.08.1999 की तिथि से पूर्व में प्राप्त प्रथम ए0सी0पी0 का वेतनमान दिनांक- 28.03.2000 की तिथि से वेतनमान- 6500-10500/- में परिवर्तित है। (परन्तु वेतन निर्धारण का लाभ देय नहीं, वरन मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (2) के तहत केवल वेतन निर्धारण)

21	श्री युगल किशोर पाण्डेय/सेवानिवृत्त वरीय लेखा लिपिक/कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर पूर्वी-01	08.07.1954/ 31.07.2014	प्रोन्नति 01.10.1980	01.03.1985	दिनांक- 09.08.1999 की तिथि से पूर्व में प्राप्त प्रथम ए०सी०पी० का वेतनमान दिनांक- 28.03.2000 की तिथि से वेतनमान-6500-10500/- में परिवर्तित है। (परन्तु वेतन निर्धारण का लाभ देय नहीं, वरन मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (2) के तहत केवल वेतन निर्धारण)	दिनांक- 01.10.2004 की तिथि से द्वितीय ए०सी०पी० वेतनमान-10000-15200/-में देय है।	दिनांक- 01.10.2010 की तिथि से तृतीय एम०ए०सी० पी० पी०वी०-3 ग्रेड पे०-7600 में देय है।	1. दिनांक- 09.08.1999 की तिथि से पूर्व प्राप्त प्रथम ए०सी०पी० का वेतनमान दिनांक- 28.03.2000 की तिथि से वेतनमान-6500-10500/- में परिवर्तित है। (परन्तु वेतन निर्धारण का लाभ देय नहीं, वरन मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (2) के तहत केवल वेतन निर्धारण) 2. दिनांक-01.10.2004 की तिथि से द्वितीय ए०सी०पी० वेतनमान-10000-15200/-में स्वीकृत। 3. दिनांक-01.10.2010 की तिथि से तृतीय एम०ए०सी०पी० पी०वी०-3 ग्रेड पे०-7600 में स्वीकृत। (तदनुसार पूर्व में प्रदत्त ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० इस हद तक संगोषित)।
22	श्री संजय कुमार/कनीय लेखा लिपिक/कार्य प्रमंडल, बांका-01	15.06.1985/ 30.06.2045	अनुकम्पा 22.12.2006	01.05.2024	दिनांक- 22.12.2016 की तिथि से प्रथम एम०ए०सी०पी० वेतन लेवल-5 में देय है।	तत्काल द्वितीय एम०ए०सी०पी० देय नहीं है।	तत्काल तृतीय एम०ए०सी० पी० देय नहीं है।	1. दिनांक-22.12.2016 की तिथि से प्रथम एम०ए०सी०पी० वेतन लेवल-5 में स्वीकृत। (तदनुसार पूर्व में प्रदत्त ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० इस हद तक संगोषित)।
23	श्री विजेन्द्र कुमार/पत्न्या/वरीय लेखा लिपिक/कार्य प्रमंडल, दरभंगा-01	28.07.1966/ 31.07.2026	सीधी नियुक्ति 29.12.1987	01.09.2010	दिनांक- 29.12.1999 की तिथि से पूर्व में प्राप्त प्रथम ए०सी०पी० का वेतनमान दिनांक- 28.03.2000 की तिथि से वेतनमान-6500-10500/- में परिवर्तित है। (परन्तु वेतन निर्धारण का लाभ देय नहीं, वरन मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (2) के तहत केवल वेतन निर्धारण)	दिनांक- 01.01.2009 की तिथि से द्वितीय एम०ए०सी०पी० पी०वी०-2 ग्रेड पे०-5400 में देय है।	दिनांक- 29.12.2017 की तिथि से तृतीय एम०ए०सी० पी० लेवल-11 में देय है।	1. दिनांक- 29.12.1999 की तिथि से पूर्व में प्राप्त प्रथम ए०सी०पी० का वेतनमान दिनांक- 28.03.2000 की तिथि से वेतनमान-6500-10500/- में परिवर्तित है। (परन्तु वेतन निर्धारण का लाभ देय नहीं, वरन मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (2) के तहत केवल वेतन निर्धारण) 2. दिनांक-01.01.2009 की तिथि से द्वितीय एम०ए०सी०पी० पी०वी०-2 ग्रेड पे०-5400 में स्वीकृत। 3. दिनांक-29.12.2017 की तिथि से तृतीय एम०ए०सी०पी० लेवल-11 में स्वीकृत। (तदनुसार पूर्व में प्रदत्त ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० इस हद तक संगोषित)।
24	श्री आनन्दी कुमार/कनीय लेखा लिपिक/कार्य प्रमंडल, समस्तीपुर	15.01.1993/ 31.01/2053	अनुकम्पा 05.02.2013	वित्त विभागीय परिपत्र सं०-4862 दिनांक- 29.04.2025 द्वारा राज्य सरकार के मुफिफराल/क्षेत्रीय कार्यालयों में पदस्थापित लिपिकों लेखा परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होने की स्थिति में भी वित्तीय उन्नयन का लाभ दिये जाने का निर्णय संसोधित होने के आलोक में .	दिनांक- 05.02.2023 की तिथि से प्रथम एम०ए०सी०पी० वेतन लेवल-5 में देय है।	तत्काल द्वितीय एम०ए०सी०पी० देय नहीं है।	तत्काल तृतीय एम०ए०सी० पी० देय नहीं है।	1. दिनांक-05.02.2023 की तिथि से प्रथम एम०ए०सी०पी० वेतन लेवल-5 में स्वीकृत। (तदनुसार पूर्व में प्रदत्त ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० इस हद तक संगोषित)।
25	श्री राजीव रंजन कुमार/वरीय लेखा लिपिक/कार्य प्रमंडल, सुपौल	01.01.1975/ 31.12.2034	अनुकम्पा 26.10.1994	27.05.2012	दिनांक- 26.10.2006 की तिथि से प्रथम ए०सी०पी० वेतनमान-9300-34800/- ग्रेड पे०-4800/- में देय है।	दिनांक- 26.10.2014 की तिथि से द्वितीय एम०ए०सी०पी० पी०वी०-2 ग्रेड पे०-5400 में देय है।	दिनांक- 26.10.2024 की तिथि से तृतीय एम०ए०सी० पी० लेवल-11 में देय है।	1. दिनांक-26.10.2006 की तिथि से प्रथम ए०सी०पी० वेतनमान-9300-34800/- ग्रेड पे०-4800/- में स्वीकृत। 2. दिनांक-26.10.2014 की तिथि से द्वितीय एम०ए०सी०पी० पी०वी०-2 ग्रेड पे०-5400 में स्वीकृत। 3. दिनांक-26.10.2024 की तिथि से तृतीय एम०ए०सी०पी० लेवल-11 में स्वीकृत। (तदनुसार पूर्व में प्रदत्त ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० इस हद तक संगोषित)।

26	श्री बसन्त कुमार तिवारी/सेवानिवृत्त वरीय लेखा लिपिक/कार्य प्रमंडल, हथुआ	08.08.1960/ 31.08.2020	सीधी नियुक्ति 07.12.1979	31.08.1989	दिनांक- 09.08.1999 की तिथि से पूर्व में प्राप्त प्रथम ए०सी०पी० का वेतनमान दिनांक- 28.03.2000 की तिथि से वेतनमान- 6500-10500/- में परिवर्तित है। (परन्तु वेतन निर्धारण का लाभ देय नहीं, वरन मौलिक नियमावली के नियम 22(1)(2) के तहत केवल वेतन निर्धारण)	दिनांक- 07.12.2003 की तिथि से द्वितीय ए०सी०पी० वेतनमान- 10000-15200/- में देय है।	दिनांक- 07.12.2009 की तिथि से तृतीय ए०सी०पी० वेतनमान- 10000-15200/- में देय है।	1. दिनांक- 09.08.1999 की तिथि से पूर्व में प्राप्त प्रथम ए०सी०पी० का वेतनमान दिनांक- 28.03.2000 की तिथि से वेतनमान- 6500-10500/- में परिवर्तित है। (परन्तु वेतन निर्धारण का लाभ देय नहीं, वरन मौलिक नियमावली के नियम 22(1)(2) के तहत केवल वेतन निर्धारण) 2. दिनांक- 07.12.2003 की तिथि से द्वितीय ए०सी०पी० वेतनमान- 10000-15200/- में स्वीकृत। (तदनुसार पूर्व में प्रदत्त ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० इस हद तक संशोधित)। 3. तृतीय ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० कम्प्यूटर परीक्षा अनुवीक्षण/विमुक्ति के अभाव में लंबित।
27	श्री राजीव कुमार चौरसिया/वरीय लेखा लिपिक/कार्य प्रमंडल, सोनपुर	15.12.1977/ 31.12.2037	अनुकम्पा 27.06.1996	27.06.1999	दिनांक- 27.06.2008 की तिथि से प्रथम ए०सी०पी० वेतनमान-9300-34800/- ग्रेड पे०-4800/- में देय है।	दिनांक- 27.06.2016 की तिथि से द्वितीय ए०सी०पी० वेतनमान-9300-34800/- ग्रेड पे०-4800/- में देय है।	तत्काल देय नहीं है।	1. दिनांक-27.06.2008 की तिथि से प्रथम ए०सी०पी० वेतनमान-9300-34800/- ग्रेड पे०-4800/- में स्वीकृत। 2. दिनांक-27.06.2016 की तिथि से द्वितीय ए०सी०पी० वेतनमान-9300-34800/- ग्रेड पे०-4800/- में स्वीकृत। (तदनुसार पूर्व में प्रदत्त ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० इस हद तक संशोधित)।
28	श्री संजय कुमार/वरीय लेखा लिपिक/कार्य प्रमंडल, उदाकिशुनागंज	21.05.1966/ 31.05.2026	सीधी नियुक्ति 03.05.1990	03.05.1993	प्रथम ए०सी०पी० 03.05.2002 के प्रभाव से वेतनमान-6500-10500 में देय है।	दिनांक- 03.05.2010 की तिथि से द्वितीय ए०सी०पी० वेतनमान-6500-10500 में देय है।	दिनांक- 03.05.2020 की तिथि से तृतीय ए०सी०पी० वेतनमान-6500-10500 में देय है।	1. प्रथम ए०सी०पी० 03.05.2002 के प्रभाव से वेतनमान-6500-10500 में स्वीकृत। 2. दिनांक-03.05.2010 की तिथि से द्वितीय ए०सी०पी० वेतनमान-6500-10500 में स्वीकृत। 3. दिनांक-03.05.2020 की तिथि से तृतीय ए०सी०पी० वेतनमान-6500-10500 में स्वीकृत। (तदनुसार पूर्व में प्रदत्त ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० इस हद तक संशोधित)।
29	मो० सुहेल अख्तर/सेवानिवृत्त वरीय लेखा लिपिक/कार्य प्रमंडल, बाद।	02.11.1962/ 30.11.2022	सीधी नियुक्ति 24.03.1994	24.03.1997	दिनांक- 24.03.2006 की तिथि से प्रथम ए०सी०पी० वेतनमान-9300-34800/- ग्रेड पे०-4800/- में देय है।	दिनांक- 24.03.2014 की तिथि से द्वितीय ए०सी०पी० वेतनमान-9300-34800/- ग्रेड पे०-4800/- में देय है।	तृतीय ए०सी०पी० देय नहीं है।	1. दिनांक- 24.03.2006 की तिथि से प्रथम ए०सी०पी० वेतनमान-9300-34800/- ग्रेड पे०-4800/- में स्वीकृत। 2. दिनांक-24.03.2014 की तिथि से द्वितीय ए०सी०पी० वेतनमान-9300-34800/- ग्रेड पे०-4800/- में स्वीकृत। (तदनुसार पूर्व में प्रदत्त ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० इस हद तक संशोधित)।
30	श्री सुजीत कुमार पाण्डेय/कनीय लेखा लिपिक/प्राथमिक कार्य विभाग कार्य प्रमंडल, मढ़ौरा	20.07.1988/ 31.07.2048	अनुकम्पात्मक 24.03.2008	02.04.2025	दिनांक- 24.03.2018 की तिथि से प्रथम ए०सी०पी० वेतनमान-9300-34800/- ग्रेड पे०-4800/- में देय है।	तत्काल द्वितीय ए०सी०पी० देय नहीं है।	तत्काल तृतीय ए०सी०पी० देय नहीं है।	1. दिनांक-24.03.2018 की तिथि से प्रथम ए०सी०पी० वेतनमान-9300-34800/- ग्रेड पे०-4800/- में स्वीकृत। (तदनुसार पूर्व में प्रदत्त ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० इस हद तक संशोधित)।
31	श्री कृष्ण मुखर्जी प्रसाद/वरीय लेखा लिपिक/कार्य प्रमंडल, दाउदनगर	05.02.1967/ 28.02.2027	अनुकम्पा 09.07.1993	09.07.1997	दिनांक- 09.07.2005 के तिथि से प्रथम ए०सी०पी० वेतनमान-6500-10500/- में देय है।	दिनांक- 09.07.2013 की तिथि से द्वितीय ए०सी०पी० वेतनमान-6500-10500/- में देय है।	दिनांक- 09.07.2023 की तिथि से तृतीय ए०सी०पी० वेतनमान-6500-10500/- में देय है।	1. दिनांक-09.07.2005 के तिथि से प्रथम ए०सी०पी० वेतनमान-6500-10500/- में स्वीकृत। 2. दिनांक- 09.07.2013 की तिथि से द्वितीय ए०सी०पी० वेतनमान-6500-10500/- में स्वीकृत। 3. दिनांक-09.07.2023 की तिथि से तृतीय ए०सी०पी० वेतनमान-6500-10500/- में स्वीकृत। (तदनुसार पूर्व में प्रदत्त ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० इस हद तक संशोधित)।

32	श्री दिलीप कुमार/वरीय लेखा लिपिक/कार्य प्रमंडल, सासाराम-02	07.01.1969/ 31.01.2029	अनुकम्पा	09.03.1992	04.04.1996	दिनांक- 09.03.2004 की तिथि से प्रथम ए०सी०पी० वेतनमान-6500-10500 में देय है।	दिनांक- 09.03.2012 की तिथि से द्वितीय एम०ए०सी०पी० पी०बी०-2 ग्रेड पे०-5400/- में देय है।	दिनांक- 09.03.2022 की तिथि से तृतीय एम०ए०सी०पी० पी० लेवल-11 में देय है।	1. दिनांक-09.03.2004 की तिथि से प्रथम ए०सी०पी० वेतनमान-6500-10500 में स्वीकृत। 2. दिनांक-09.03.2012 की तिथि से द्वितीय एम०ए०सी०पी० पी०बी०-2 ग्रेड पे०-5400/- में स्वीकृत। 3. दिनांक-09.03.2022 की तिथि से तृतीय एम०ए०सी०पी० लेवल-11 में स्वीकृत। (तदनुसार पूर्व में प्रदत्त ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० इस हद तक संशोधित)।
33	रखो कुमार विजेन्द्र प्रसाद/सेवानिवृत्त वरीय लेखा लिपिक/कार्य प्रमंडल, हिलसा	25.01.1960/ 31.01.2020	अनुकम्पा	21.03.1979	वित्त विभागीय परिपत्र सं०-4862, दिनांक-29.04.2025 द्वारा राज्य सरकार के मुखफसल/क्षेत्रीय कार्यालयों में पदस्थापित लिपिकों लेखा परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होने की स्थिति में भी वित्तीय उन्नयन का लाभ दिये जाने का निर्णय संशोधित होने के आलोक में	दिनांक- 09.08.1999 की तिथि से पूर्व में प्राप्त प्रथम ए०सी०पी० का वेतनमान दिनांक-28.03.2000 की तिथि से वेतनमान-6500-10500/- में परिवर्तित है। (परन्तु वेतन निर्धारण का लाभ देय नहीं, बरन मौलिक नियमावली के नियम 22(1)(2) के तहत केवल वेतन निर्धारण)	दिनांक- 21.03.2003 की तिथि से द्वितीय ए०सी०पी० वेतनमान-10000-15200/- में देय है।	दिनांक- 21.03.2009 की तिथि से तृतीय एम०ए०सी० पी० पी०बी०-3 ग्रेड पे०-7600 में देय है।	1. दिनांक-09.08.1999 की तिथि से पूर्व में प्राप्त प्रथम ए०सी०पी० का वेतनमान दिनांक-28.03.2000 की तिथि से वेतनमान-6500-10500/- में परिवर्तित है। (परन्तु वेतन निर्धारण का लाभ देय नहीं, बरन मौलिक नियमावली के नियम 22(1)(2) के तहत केवल वेतन निर्धारण) 2. दिनांक-21.03.2003 की तिथि से द्वितीय ए०सी०पी० वेतनमान-10000-15200/- में स्वीकृत। 3. दिनांक-21.03.2009 की तिथि से तृतीय एम०ए०सी०पी० पी०बी०-3 ग्रेड पे०-7600 में स्वीकृत। (तदनुसार पूर्व में प्रदत्त ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० इस हद तक संशोधित)।
34	श्री सुशील कुमार सिंह/वरीय लेखा लिपिक/कार्य प्रमंडल, अरवल	16.07.1972/ 31.07.2032	सीधी नियुक्ति	14.09.1990	27.09.1999	प्रथम ए०सी०पी० 14.09.2002 के प्रभाव से वेतनमान-6500-10500 में देय है	दिनांक- 14.09.2010 की तिथि से द्वितीय एम०ए०सी०पी० पी०बी०-2 ग्रेड पे०-5400 में देय है	दिनांक- 14.09.2020 की तिथि से तृतीय एम०ए०सी० पी० लेवल-11 में देय है।	1. प्रथम ए०सी०पी० 14.09.2002 के प्रभाव से वेतनमान-6500-10500 में स्वीकृत। 2. दिनांक-14.09.2010 की तिथि से द्वितीय एम०ए०सी०पी० पी०बी०-2 ग्रेड पे०-5400 में स्वीकृत। 3. दिनांक-14.09.2020 की तिथि से तृतीय एम०ए०सी०पी० लेवल-11 में स्वीकृत। (तदनुसार पूर्व में प्रदत्त ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० इस हद तक संशोधित)।
35	भो० इकराल/वरीय लेखा लिपिक/कार्य प्रमंडल, विक्रमगंज	01.12.1974/ 30.11.2034	अनुकम्पा	05.06.1997	05.06.2000	प्रथम ए०सी०पी० 05.06.2009 के प्रभाव से वेतनमान-6500-10500 में देय है	दिनांक- 05.06.2017 की तिथि से द्वितीय एम०ए०सी०पी० लेवल-9 में देय है।	तत्काल तृतीय एम०ए०सी० पी० देय नहीं है।	1. प्रथम ए०सी०पी० 05.06.2009 के प्रभाव से वेतनमान-6500-10500 में स्वीकृत। 2. दिनांक-05.06.2017 की तिथि से द्वितीय एम०ए०सी०पी० लेवल-9 में स्वीकृत। (तदनुसार पूर्व में प्रदत्त ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० इस हद तक संशोधित)।
36	श्री शिवजी सिंह/सेवानिवृत्त वरीय लेखा लिपिक/कार्य प्रमंडल, सोनपुर	18.01.1955/ 31.01.2015	प्रोन्नति	14.02.1983	मुख्य अभियंता सप्रग योजना-02 पटना के पत्रांक-110 दिनांक-22.01.1994 द्वारा प्रोन्नति की तिथि 14.02.1983 से सेवा नियमित की गयी।	दिनांक- 09.08.1999 की तिथि से पूर्व में प्राप्त प्रथम ए०सी०पी० का वेतनमान दिनांक-28.03.2000 की तिथि से वेतनमान-6500-10500/- में परिवर्तित है। (परन्तु वेतन निर्धारण का लाभ देय नहीं, बरन मौलिक नियमावली के नियम 22(1)(2) के तहत केवल वेतन निर्धारण)	दिनांक- 14.02.2007 की तिथि से द्वितीय ए०सी०पी० पी०बी०-3 ग्रेड पे०-6600 में देय है	दिनांक- 14.02.2013 की तिथि से तृतीय एम०ए०सी० पी० पी०बी०-3 ग्रेड पे०-7600 में देय है	1. दिनांक-09.08.1999 की तिथि से पूर्व में प्राप्त प्रथम ए०सी०पी० का वेतनमान दिनांक-28.03.2000 की तिथि से वेतनमान-6500-10500/- में परिवर्तित है। (परन्तु वेतन निर्धारण का लाभ देय नहीं, बरन मौलिक नियमावली के नियम 22(1)(2) के तहत केवल वेतन निर्धारण) 2. दिनांक-14.02.2007 की तिथि से द्वितीय ए०सी०पी० पी०बी०-3 ग्रेड पे०-6600 में स्वीकृत। 3. दिनांक-14.02.2013 की तिथि से तृतीय एम०ए०सी०पी० पी०बी०-3 ग्रेड पे०-7600 में स्वीकृत। (तदनुसार पूर्व में प्रदत्त ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० इस हद तक संशोधित)।

fi

37	स्व० गौरी शंकर झा / सेवानिवृत्त वरीय लेखा लिपिक / कार्य प्रमंडल, फुलपरास (मधुबनी)	17.09.1950/ 30.09.2010	समायोजन 09.06.1983	वित्त विभागीय परिपत्र सं०-4862, दिनांक- 29.04.2025 द्वारा राज्य सरकार के मुफिसल / क्षेत्रीय कार्यालयों में पदस्थापित लिपिकों लेखा परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होने की स्थिति में भी वित्तीय उन्नयन का लाभ दिये जाने का निर्णय संसूचित होने के आलोक में	दिनांक- 09.08.1999 की तिथि से पूर्व में प्राप्त प्रथम ए०सी०पी० का वेतनमान दिनांक- 28.03.2000 की तिथि से वेतनमान-6500-10500/- में परिवर्तित है। (परन्तु वेतन नियमावली के नियम 22(1)(2) के तहत केवल वेतन निर्धारण)	दिनांक- 09.03.2007 की तिथि से द्वितीय ए०सी०पी० पी०बी०-3 ग्रेड पे०-6600 में देय है	तृतीय देय नहीं है।	1. दिनांक- 09.08.1999 की तिथि से पूर्व में प्राप्त प्रथम ए०सी०पी० का वेतनमान दिनांक- 28.03.2000 की तिथि से वेतनमान-6500-10500/- में परिवर्तित है। (परन्तु वेतन निर्धारण का लाभ देय नहीं, वरन मौलिक नियमावली के नियम 22(1)(2) के तहत केवल वेतन निर्धारण) 2. दिनांक-09.03.2007 की तिथि से द्वितीय ए०सी०पी० पी०बी०-3 ग्रेड पे०-6600 में स्वीकृत। (तदनुसार पूर्व में प्रदत्त ए०सी०पी०/एन०ए०सी०पी० इस हद तक संगोषित)।
38	श्री पंकज कुमार राय / कनीय लेखा लिपिक / कार्य प्रमंडल, फुलपरास (मधुबनी)	05.01.1985/ 31.01.2045	अनुकम्पा 29.08.2005	वित्त विभागीय परिपत्र सं०-4862, दिनांक- 29.04.2025 द्वारा राज्य सरकार के मुफिसल / क्षेत्रीय कार्यालयों में पदस्थापित लिपिकों लेखा परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होने की स्थिति में भी वित्तीय उन्नयन का लाभ दिये जाने का निर्णय संसूचित होने के आलोक में।	प्रथम एम०ए०सी०पी० दिनांक- 29.08.2015 के प्रभाव से वेतनमान-5200-20200 ग्रेड वेतन-2800 में देय है।	तत्काल देय नहीं है।	तत्काल देय नहीं है।	1. प्रथम एम०ए०सी०पी० दिनांक- 29.08.2015 के प्रभाव से वेतनमान-5200-20200 ग्रेड वेतन-2800 में स्वीकृत।
39	श्री अखीरी हृदय रंजन / सेवानिवृत्त वरीय लेखा लिपिक / कार्य प्रमंडल, बगहा-1	13.02.1958 / 28.02.2018	अनुकम्पा 15.11.1985	15.11.1988	दिनांक- 09.08.1999 की तिथि से पूर्व में प्राप्त प्रथम ए०सी०पी० का वेतनमान दिनांक- 28.03.2000 की तिथि से वेतनमान-6500-10500/- में परिवर्तित है। (परन्तु वेतन निर्धारण का लाभ देय नहीं, वरन मौलिक नियमावली के नियम 22(1)(2) के तहत केवल वेतन निर्धारण)	दिनांक- 15.11.2009 की तिथि से द्वितीय ए०सी०पी० पी०बी०-3 ग्रेड पे०-6600 में देय है	दिनांक- 15.11.2015 की तिथि से तृतीय एम०ए०सी० पी० पी०बी०-3 ग्रेड पे०-7600 में देय है	1. दिनांक- 09.08.1999 की तिथि से पूर्व में प्राप्त प्रथम ए०सी०पी० का वेतनमान दिनांक- 28.03.2000 की तिथि से वेतनमान-6500-10500/- में परिवर्तित है। (परन्तु वेतन निर्धारण का लाभ देय नहीं, वरन मौलिक नियमावली के नियम 22(1)(2) के तहत केवल वेतन निर्धारण) 2. दिनांक-15.11.2009 की तिथि से द्वितीय ए०सी०पी० पी०बी०-3 ग्रेड पे०-6600 में स्वीकृत। 3. दिनांक-15.11.2015 की तिथि से तृतीय एम०ए०सी०पी० पी०बी०-3 ग्रेड पे०-7600 में स्वीकृत। (तदनुसार पूर्व में प्रदत्त ए०सी०पी०/एन०ए०सी०पी० इस हद तक संगोषित)।
40	श्री० कर्पजिब हरीन / सेवानिवृत्त वरीय लेखा लिपिक / जी० एच० गुणवत्ता नियंत्रण प्रमंडल, गया	05.10.1962/ 06.08.2022	सीसी नियुक्ति 07.08.1980	07.08.1983	दिनांक- 09.08.1999 की तिथि से पूर्व में प्राप्त प्रथम ए०सी०पी० का वेतनमान दिनांक- 28.03.2000 की तिथि से वेतनमान-6500-10500/- में परिवर्तित है। (परन्तु वेतन निर्धारण का लाभ देय नहीं, वरन मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (2) के तहत केवल वेतन निर्धारण)	दिनांक- 07.08.2004 की तिथि से द्वितीय ए०सी०पी० वेतनमान-10000-15200/-में देय है।	दिनांक- 07.08.2010 की तिथि से तृतीय एम०ए०सी० पी० पी०बी०-3 ग्रेड पे०-7600 में देय है।	1. दिनांक- 09.08.1999 की तिथि से पूर्व में प्राप्त प्रथम ए०सी०पी० का वेतनमान दिनांक- 28.03.2000 की तिथि से वेतनमान- 6500-10500/- में परिवर्तित है। (परन्तु वेतन निर्धारण का लाभ देय नहीं, वरन मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (2) के तहत केवल वेतन निर्धारण) 2. दिनांक-07.08.2004 की तिथि से द्वितीय ए०सी०पी० वेतनमान-10000-15200/-में स्वीकृत। 3. दिनांक-07.08.2010 की तिथि से तृतीय एम०ए०सी०पी० पी०बी०-3 ग्रेड पे०-7600 में स्वीकृत। (तदनुसार पूर्व में प्रदत्त ए०सी०पी०/एन०ए०सी०पी० इस हद तक संगोषित)।

4

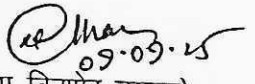
49	श्री नरेन्द्र कुमार वर्मा / सेवानिवृत्त वरीय लेखा लिपिक / कार्य प्रमंडल, मोतिहारी	20.11.1949/ 30.11.2009	सीधी नियुक्ति 25.07.1973	06.08.1974	दिनांक- 09.08.1999 की तिथि से पूर्व में प्राप्त प्रथम ए०सी०पी० का वेतनमान दिनांक- 28.03.2000 की तिथि से वेतनमान- 6500-10500/- में परिवर्तित है। (परन्तु वेतन निर्धारण का लाभ देय नहीं, वरन मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (2) के तहत केवल वेतन निर्धारण)।	दिनांक- 09.08.1999 की तिथि से पूर्व में प्राप्त द्वितीय ए०सी०पी० का वेतनमान दिनांक- 28.03.2000 की तिथि से वेतनमान- 10000-15200/- में परिवर्तित है। (परन्तु वेतन निर्धारण का लाभ देय नहीं, वरन मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (2) के तहत केवल वेतन निर्धारण)।	दिनांक- 01.01.2009 की तिथि से तृतीय ए०सी०पी० पी० पी०बी०-3 ग्रेड पे०-7600 में देय है।	1. दिनांक- 09.08.1999 की तिथि से पूर्व में प्राप्त प्रथम ए०सी०पी० का वेतनमान दिनांक- 28.03.2000 की तिथि से वेतनमान-6500-10500/- में परिवर्तित है। (परन्तु वेतन निर्धारण का लाभ देय नहीं, वरन मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (2) के तहत केवल वेतन निर्धारण)। 2. दिनांक- 09.08.1999 की तिथि से पूर्व में प्राप्त द्वितीय ए०सी०पी० का वेतनमान दिनांक- 28.03.2000 की तिथि से वेतनमान- 10000-15200/- में परिवर्तित है। (परन्तु वेतन निर्धारण का लाभ देय नहीं, वरन मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (2) के तहत केवल वेतन निर्धारण)। 3. दिनांक-01.01.2009 की तिथि से तृतीय ए०सी०पी० पी०बी०-3 ग्रेड पे०-7600 में स्वीकृत। (तदनुसार पूर्व में प्रदत्त ए०सी०पी०/ए०सी०पी० इस हद तक संशोधित)।
50	श्री माधव राय / सेवानिवृत्त वरीय लेखा लिपिक / कार्य प्रमंडल, विक्रमगंज (रोहतास)	11.06.1953/ 30.06.2013	प्रोन्नति 03.03.1979	वित्त विभागीय परिपत्र सं०-4862, दिनांक- 29.04.2025 द्वारा राज्य सरकार के मुफिकसल / क्षेत्रीय कार्यालयों में पदस्थापित लिपिकों लेखा परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होने की स्थिति में भी वितीय उन्नयन का लाभ दिये जाने का निर्णय संशोधित होने के आलोक में	दिनांक- 09.08.1999 की तिथि से पूर्व में प्राप्त प्रथम ए०सी०पी० का वेतनमान दिनांक- 28.03.2000 की तिथि से वेतनमान-6500- 10500/- में परिवर्तित है। (परन्तु वेतन निर्धारण का लाभ देय नहीं, वरन मौलिक नियमावली के नियम 22(1)(2) के तहत केवल वेतन निर्धारण)	दिनांक- 03.03.2003 की तिथि से द्वितीय ए०सी०पी० वेतनमान- 10000-15200/- में देय है।	दिनांक- 03.03.2009 की तिथि से तृतीय ए०सी०पी० पी० पी०बी०-3 ग्रेड पे०-7600 में देय है।	1. दिनांक- 09.08.1999 की तिथि से पूर्व में प्राप्त प्रथम ए०सी०पी० का वेतनमान दिनांक- 28.03.2000 की तिथि से वेतनमान-6500-10500/- में परिवर्तित है। (परन्तु वेतन निर्धारण का लाभ देय नहीं, वरन मौलिक नियमावली के नियम 22(1)(2) के तहत केवल वेतन निर्धारण) 2. दिनांक- 03.03.2003 की तिथि से द्वितीय ए०सी०पी० वेतनमान- 10000-15200/- में स्वीकृत। 3. दिनांक-03.03.2009 की तिथि से तृतीय ए०सी०पी० पी०बी०-3 ग्रेड पे०-7600 में स्वीकृत। (तदनुसार पूर्व में प्रदत्त ए०सी०पी०/ए०सी०पी० इस हद तक संशोधित)।
51	श्री श्रीनिवास पाण्डेय / सेवानिवृत्त वरीय लेखा लिपिक / कार्य प्रमंडल, बाद	23.06.1947/ 30.06.2007	सीधी नियुक्ति 23.06.1981	वित्त विभागीय परिपत्र सं०-4862, दिनांक- 29.04.2025 द्वारा राज्य सरकार के मुफिकसल / क्षेत्रीय कार्यालयों में पदस्थापित लिपिकों लेखा परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होने की स्थिति में भी वितीय उन्नयन का लाभ दिये जाने का निर्णय संशोधित होने के आलोक में	दिनांक- 09.08.1999 की तिथि से पूर्व में प्राप्त प्रथम ए०सी०पी० का वेतनमान दिनांक- 28.03.2000 की तिथि से वेतनमान- 6500-10500/- में परिवर्तित है। (परन्तु वेतन निर्धारण का लाभ देय नहीं, वरन मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (2) के तहत केवल वेतन निर्धारण)	दिनांक- 23.06.2005 की तिथि से द्वितीय ए०सी०पी० वेतनमान-10000 -15200/- में देय है।	तृतीय देय नहीं है।	1. दिनांक- 09.08.1999 की तिथि से पूर्व में प्राप्त प्रथम ए०सी०पी० का वेतनमान दिनांक- 28.03.2000 की तिथि से वेतनमान- 6500-10500/- में परिवर्तित है। (परन्तु वेतन निर्धारण का लाभ देय नहीं, वरन मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (2) के तहत केवल वेतन निर्धारण) 2. दिनांक-23.06.2005 की तिथि से द्वितीय ए०सी०पी० वेतनमान-10000-15200/- में स्वीकृत। (तदनुसार पूर्व में प्रदत्त ए०सी०पी०/ए०सी०पी० इस हद तक संशोधित)।
52	श्री कृष्ण भुरारी राहाय / वरीय लेखा लिपिक / कार्य प्रमंडल, किशनगंज-01	02.05.1974/ 31.05.2034	अनुकम्पा 15.05.1995	वित्त विभागीय परिपत्र सं०-4862, दिनांक- 29.04.2025 द्वारा राज्य सरकार के मुफिकसल / क्षेत्रीय कार्यालयों में पदस्थापित लिपिकों लेखा परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होने की स्थिति में भी वितीय उन्नयन का लाभ दिये जाने का निर्णय संशोधित होने के आलोक में	प्राप्त	प्राप्त	दिनांक- 15.05.2025 की तिथि से तृतीय ए०सी०पी० पी० लेवल-11 में देय है।	1. दिनांक-15.05.2025 की तिथि से तृतीय ए०सी०पी० लेवल-11 में स्वीकृत। (तदनुसार पूर्व में प्रदत्त ए०सी०पी०/ए०सी०पी० इस हद तक संशोधित)।

53	श्री उपेन्द्र कुमार/सेवानिवृत्त वरीय लेखा लिपिक/कार्य प्रमंडल, बोंका-02	20.01.1960/ 31.01.2020	सीधी नियुक्ति 02.01.1986	13.10.1992	प्राप्त	प्राप्त	दिनांक- 02.01.2016 की तिथि से तृतीय एम0ए0सी0पी0 लेवल-12 में देय है।	1. दिनांक- 02.01.2016 की तिथि से तृतीय एम0ए0सी0पी0 लेवल-12 में स्वीकृत। (तदनुसार पूर्व में प्रदत्त ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 इस हद तक संशोधित)।
54	श्री अनिल कुमार झा/वरीय लेखा लिपिक/कार्य प्रमंडल, बेलसंड।	12.01.1975/ 31.01.2035	अनुकम्पा 11.07.1998	30.07.2010	दिनांक- 11.07.2010 की तिथि से प्रथम ए0सी0पी0 वेतनमान-9300-34800/- ग्रेड पे0-4800/- में देय है।	दिनांक- 11.07.2018 की तिथि से द्वितीय एम0ए0सी0पी0 लेवल-9 में देय है।	तृतीय देय नहीं है।	1. दिनांक-11.07.2010 की तिथि से प्रथम ए0सी0पी0 वेतनमान-9300-34800/- ग्रेड पे0-4800/- में स्वीकृत। 2. दिनांक-11.07.2018 की तिथि से द्वितीय एम0ए0सी0पी0 लेवल-9 में स्वीकृत। (तदनुसार पूर्व में प्रदत्त ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 इस हद तक संशोधित)।
55	श्री ज्योतिष चन्द्र मेहता/सेवानिवृत्त वरीय लेखा लिपिक/कार्य प्रमंडल, किसानगंज-01	06.02.1947/ 28.02.2007	सीधी नियुक्ति 14.08.1971	01.07.1978	दिनांक- 09.08.1999 की तिथि से पूर्व में प्राप्त प्रथम ए0सी0पी0 का वेतनमान दिनांक- 28.03.2000 की तिथि से वेतनमान- 6500-10500/- में परिवर्तित है। (परन्तु वेतन निर्धारण का लाभ देय नहीं, बरन मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (2) के तहत केवल वेतन निर्धारण)	दिनांक- 09.08.1999 की तिथि से पूर्व में प्राप्त द्वितीय ए0सी0पी0 का वेतनमान दिनांक- 28.03.2000 की तिथि से वेतनमान- 10000-15200/- में परिवर्तित है। (परन्तु वेतन निर्धारण का लाभ देय नहीं, बरन मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (2) के तहत केवल वेतन निर्धारण)	तृतीय देय नहीं है।	1. दिनांक- 09.08.1999 की तिथि से पूर्व में प्राप्त प्रथम ए0सी0पी0 का वेतनमान दिनांक- 28.03.2000 की तिथि से वेतनमान- 6500-10500/- में परिवर्तित है। (परन्तु वेतन निर्धारण का लाभ देय नहीं, बरन मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (2) के तहत केवल वेतन निर्धारण) 2. दिनांक- 09.08.1999 की तिथि से पूर्व में प्राप्त द्वितीय ए0सी0पी0 का वेतनमान दिनांक- 28.03.2000 की तिथि से वेतनमान- 10000-15200/- में परिवर्तित है। (परन्तु वेतन निर्धारण का लाभ देय नहीं, बरन मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (2) के तहत केवल वेतन निर्धारण) (तदनुसार पूर्व में प्रदत्त ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 इस हद तक संशोधित)।
56	श्री मन्दु प्रसाद यादव/सेवानिवृत्त वरीय लेखा लिपिक/कार्य प्रमंडल, अररिया	21.02.1945/ 28.02.2003	सीधी नियुक्ति 07.08.1971	01.07.1978	दिनांक- 09.08.1999 की तिथि से पूर्व में प्राप्त प्रथम ए0सी0पी0 का वेतनमान दिनांक- 28.03.2000 की तिथि से वेतनमान- 6500-10500/- में परिवर्तित है। (परन्तु वेतन निर्धारण का लाभ देय नहीं, बरन मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (2) के तहत केवल वेतन निर्धारण)	दिनांक- 09.08.1999 की तिथि से पूर्व में प्राप्त द्वितीय ए0सी0पी0 का वेतनमान दिनांक- 28.03.2000 की तिथि से वेतनमान- 10000-15200/- में परिवर्तित है। (परन्तु वेतन निर्धारण का लाभ देय नहीं, बरन मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (2) के तहत केवल वेतन निर्धारण)	तृतीय देय नहीं है।	1. दिनांक- 09.08.1999 की तिथि से पूर्व में प्राप्त प्रथम ए0सी0पी0 का वेतनमान दिनांक- 28.03.2000 की तिथि से वेतनमान- 6500-10500/- में परिवर्तित है। (परन्तु वेतन निर्धारण का लाभ देय नहीं, बरन मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (2) के तहत केवल वेतन निर्धारण) 2. दिनांक- 09.08.1999 की तिथि से पूर्व में प्राप्त द्वितीय ए0सी0पी0 का वेतनमान दिनांक- 28.03.2000 की तिथि से वेतनमान- 10000-15200/- में परिवर्तित है। (परन्तु वेतन निर्धारण का लाभ देय नहीं, बरन मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (2) के तहत केवल वेतन निर्धारण) (तदनुसार पूर्व में प्रदत्त ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 इस हद तक संशोधित)।
57	श्री श्याम नारायण सिंह/वरीय लेखा लिपिक/कार्य प्रमंडल, झंझारपुर	25.04.1967/ 30.04.2027	सीधी नियुक्ति 20.04.1993	26.04.2017	दिनांक- 20.04.2005 की तिथि से प्रथम ए0सी0पी0 वेतनमान-6500-10500/- में देय है।	दिनांक- 20.04.2013 की तिथि से द्वितीय एम0ए0सी0पी0 पी0वी0-2 ग्रेड पे0-5400 में देय है।	दिनांक- 20.04.2023 की तिथि से तृतीय एम0ए0सी0पी0 लेवल-11 में देय है।	1. दिनांक-20.04.2005 की तिथि से प्रथम ए0सी0पी0 वेतनमान-6500-10500/- में स्वीकृत। 2. दिनांक-20.04.2013 की तिथि से द्वितीय एम0ए0सी0पी0 पी0वी0-2 ग्रेड पे0-5400 में स्वीकृत। 3. दिनांक- 20.04.2023 की तिथि से तृतीय एम0ए0सी0पी0 लेवल-11 में स्वीकृत। (तदनुसार पूर्व में प्रदत्त ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 इस हद तक संशोधित)।

58	श्री अनंत कुमार/वरीय लेखा लिपिक/कार्य प्रमंडल, अररिया सम्प्रति कार्य प्रमंडल, हरनौत	02.11.1966 / 30.11.2026	अनुक्रम	22.02.1991	22.02.1994	प्रथम ए०सी०पी० दिनांक- 22.02.2003 के प्रभाव से वेतनमान-6500-10500/- में देय है।	दिनांक- 22.02.2011 की तिथि से द्वितीय एम०ए०सी०पी० पी०बी०-2 ग्रेड पे०-5400 में देय है।	दिनांक- 22.02.2021 की तिथि से तृतीय एम०ए०सी०पी० देय में लेवल-11 में देय है।	1. प्रथम ए०सी०पी० दिनांक- 22.02.2003 के प्रभाव से वेतनमान-6500-10500/- में स्वीकृत। 2. दिनांक-22.02.2011 की तिथि से द्वितीय एम०ए०सी०पी० पी०बी०-2 ग्रेड पे०-5400 में स्वीकृत। 3. दिनांक-22.02.2021 की तिथि से तृतीय एम०ए०सी०पी० देय में लेवल-11 में स्वीकृत। (तदनुसार पूर्व में प्रदत्त ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० इस हद तक संशोधित)।
59	श्री राम किशोर सिंह/सेवानिवृत्त वरीय लेखा लिपिक/कार्य प्रमंडल, कटिहार	05.07.1960/ 31.07.2020	प्रोन्नति	04.03.1994	वित्त विभागीय परिपत्र सं०-4862 दिनांक- 29.04.2025 द्वारा राज्य सरकार के मुफिफसल/क्षेत्रीय कार्यालयों में पदस्थापित लिपिकों लेखा परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होने की स्थिति में भी वित्तीय उन्नयन का लाभ दिये जाने का निर्णय संसूचित होने के आलोक में।	प्रथम ए०सी०पी० दिनांक- 04.03.2006 के प्रभाव से वेतनमान-6500-10500/- में देय है।	दिनांक- 04.03.2014 की तिथि से द्वितीय एम०ए०सी०पी० पी०बी०-2 ग्रेड पे०-5400 में देय है।	तृतीय देय नहीं है।	1. प्रथम ए०सी०पी० दिनांक- 04.03.2006 के प्रभाव से वेतनमान-6500-10500/- में स्वीकृत। 2. दिनांक-04.03.2014 की तिथि से द्वितीय एम०ए०सी०पी० पी०बी०-2 ग्रेड पे०-5400 में स्वीकृत। (तदनुसार पूर्व में प्रदत्त ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० इस हद तक संशोधित)।
60	श्री वृजेश त्रिवेदी/सेवानिवृत्त वरीय लेखा लिपिक/कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर पूर्व-01	04.05.1952/ 31.05.2012	प्रोन्नति	06.03.1986	वित्त विभागीय परिपत्र सं०-4862 दिनांक- 29.04.2025 द्वारा राज्य सरकार के मुफिफसल/क्षेत्रीय कार्यालयों में पदस्थापित लिपिकों लेखा परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होने की स्थिति में भी वित्तीय उन्नयन का लाभ दिये जाने का निर्णय संसूचित होने के आलोक में।	दिनांक- 09.08.1999 की तिथि से पूर्व में प्राप्त प्रथम ए०सी०पी० का वेतनमान दिनांक- 28.03.2000 की तिथि से वेतनमान- 6500-10500/- में परिवर्तित है; (परन्तु वेतन निर्धारण का लाभ देय नहीं, बरन मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (2) के तहत केवल वेतन निर्धारण)	दिनांक- 06.03.2010 की तिथि से द्वितीय ए०सी०पी० पी०बी०-3 ग्रेड पे०-6600 में देय है।	तृतीय देय नहीं है।	1. दिनांक- 09.08.1999 की तिथि से पूर्व में प्राप्त प्रथम ए०सी०पी० का वेतनमान दिनांक- 28.03.2000 की तिथि से वेतनमान- 6500-10500/- में परिवर्तित है। (परन्तु वेतन निर्धारण का लाभ देय नहीं, बरन मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (2) के तहत केवल वेतन निर्धारण) 2. दिनांक-06.03.2010 की तिथि से द्वितीय ए०सी०पी० पी०बी०-3 ग्रेड पे०-6600 में स्वीकृत। (तदनुसार पूर्व में प्रदत्त ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० इस हद तक संशोधित)।
61	श्री सैयद खुर्राम अली/सेवानिवृत्त वरीय लेखा लिपिक/कार्य प्रमंडल, भागलपुर	11.01.1951/ 31.01.2011	सीपी नियुक्ति	19.07.1971	25.09.1975	दिनांक- 09.08.1999 की तिथि से पूर्व में प्राप्त प्रथम ए०सी०पी० का वेतनमान दिनांक- 28.03.2000 की तिथि से वेतनमान- 6500-10500/- में परिवर्तित है। (परन्तु वेतन निर्धारण का लाभ देय नहीं, बरन मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (2) के तहत केवल वेतन निर्धारण)	दिनांक- 09.08.1999 की तिथि से पूर्व में प्राप्त द्वितीय ए०सी०पी० का वेतनमान दिनांक- 28.03.2000 की तिथि से वेतनमान- 10000-15200/- में परिवर्तित है। (परन्तु वेतन निर्धारण का लाभ देय नहीं, बरन मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (2) के तहत केवल वेतन निर्धारण)	दिनांक- 01.01.2009 की तिथि से तृतीय एम०ए०सी०पी० पी०बी०-3 ग्रेड पे०-7600 में देय है।	1. दिनांक- 09.08.1999 की तिथि से पूर्व में प्राप्त प्रथम ए०सी०पी० का वेतनमान दिनांक- 28.03.2000 की तिथि से वेतनमान- 6500-10500/- में परिवर्तित है। (परन्तु वेतन निर्धारण का लाभ देय नहीं, बरन मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (2) के तहत केवल वेतन निर्धारण) 2. दिनांक- 09.08.1999 की तिथि से पूर्व में प्राप्त द्वितीय ए०सी०पी० का वेतनमान दिनांक- 28.03.2000 की तिथि से वेतनमान- 10000-15200/- में परिवर्तित है। (परन्तु वेतन निर्धारण का लाभ देय नहीं, बरन मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (2) के तहत केवल वेतन निर्धारण) 3. दिनांक-01.01.2009 की तिथि से तृतीय एम०ए०सी०पी० पी०बी०-3 ग्रेड पे०-7600 में स्वीकृत। (तदनुसार पूर्व में प्रदत्त ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० इस हद तक संशोधित)।

3. उपर्युक्त किसी भी लेखा लिपिक के संबंध में भविष्य में उक्त कार्यालय आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि/पार्थक्य पाये जाने पर संबंधित लेखा लिपिक को प्रदत्त रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के लाभ से संबंधित इस आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा एवं उन्हें भुगतान की गयी राशि/अन्तर राशि की नियमानुकूल वसूली कर ली जायेगी।

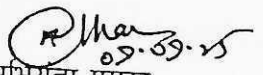
4. यह वित्तीय उन्नयन व्यक्तिगत होगा, जिसका पारस्परिक वरीयता से कोई सम्बन्ध नहीं होगा।
5. नियंत्री पदाधिकारी वेतन निर्धारण एवं देय लाभों के भुगतान के पूर्व उनके सेवापुस्त की सम्यक् जांच कर लेंगे एवं जांचोपरान्त स्वीकृत लाभों के संबंध में यदि कोई प्रतिकूल तथ्य (यथा निर्धारित सेवा अवधि में टूट, निलंबन, बर्खास्त, दंडादेश, एवं अन्य मामला आदि, जो एम0ए0सी0पी0 को प्रभावित करता हो, पाया जाता है, तो नियमानुकूल अपेक्षित कार्रवाई करते हुए विभाग से मार्ग दर्शन प्राप्त कर अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।
6. उक्त कनीय लेखा लिपिकों के संबंध में पूर्व में निर्गत दण्ड या लंबित आरोप एवं अन्य प्रतिकूल तथ्य (वित्त विभागीय ज्ञापांक-4936 दिनांक-02.07.2018 के अर्हता आदि के संबंध में) विभाग के संज्ञान में आने के परिणाम स्वरूप संबंधित कर्मियों को प्रदत्त एम0ए0सी0पी के तहत प्रदत्त लाभ से संबंधित यह आदेश स्वतः रद्द समझा जायेगा एवं उन्हें भुगतान की गई राशि/अन्तर राशि की वसूली नियमानुसार कर ली जायेगी।
7. उक्त कर्मियों का वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप वेतन निर्धारण सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना नियमावली, के नियम-8/रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना नियमावली के परिशिष्ट-01 के नियम-04 के अनुसार किया जायेगा। वेतन निर्धारण मौलिक नियमावली के नियम-22 (i) ए (i) में निहित प्रावधानों के अनुसार होगा। वेतन निर्धारण के क्रम में नियंत्री/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इस बिन्दु पर पूरी तरह संतुष्ट हो ले कि उक्त नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन पूरी तरह हो रहा है।
8. जिन कर्मियों का पूर्व में स्वीकृत वित्तीय उन्नयन संबंधित लाभ में संशोधन किया गया है, अथवा पूर्व में स्वीकृत एम0ए0सी0पी0 को रद्द किया गया हो तो उनका वेतन निर्धारण किये जाने के पूर्व यदि यह परिलक्षित होता है कि उक्त कर्मियों को अत्यधिक वेतन का भुगतान किया गया है, तो संबंधित नियंत्री पदाधिकारी नियमानुकूल अत्यधिक भुगतान की गई राशि की वसूली/समायोजन की कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।


 09.09.25
 (जय किशोर ठाकुर)
 अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:-08/अ0प्र0-07-05/2021 9752

/पटना, दिनांक:- 9.9.25

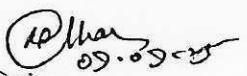
प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त विभाग (प्रशाखा-03 ए), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


 09.09.25
 अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:-08/अ0प्र0-07-05/2021 9752

/पटना, दिनांक:- 9.9.25

प्रतिलिपि:-संबंधित कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

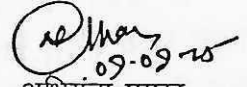

 09.09.25
 अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:-08/अ0प्र0-07-05/2021

9752

/पटना, दिनांक:- 9.9.25

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख के आप्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी संबंधित लेखा लिपिक, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


09.09.25

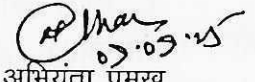
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:-08/अ0प्र0-07-05/2021

9752

/पटना, दिनांक:- 9.9.25

प्रतिलिपि:-सभी राजपत्रित पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रभारी पदाधिकारी, बजट प्रशाखा/लेखा प्रशाखा, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


09.09.25

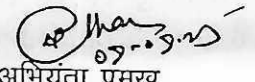
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:-08/अ0प्र0-07-05/2021

9752

/पटना, दिनांक:- 9.9.25

प्रतिलिपि:-आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


09.09.25

अभियंता प्रमुख

li-